आपराधिक प्रकरण क्र० 2047/22
शा० वि० हेमंत कुमार

Witness No.......04..............For........अभियोजन...........Deposition taken-------------------

the...23.07.2026............... Witness's apparent age...........63............वर्ष.......

States on affirmation....शपथपूर्वक ....my name is............देवनाथ ठाकुर.....................

s/W/D of....श्री .सुखदेव ठाकुर .... .occupation.............सेवानिवृत सहायक उपनिरीक्षक ....

address...ग्रम गोटीटोला थाना दल्लीराजहरा, जिला बालोद छ0ग0.............

....

टीपः. साक्षी को शपथ दिलाकर उसका परीक्षण प्रारंभ किया गया।
मुख्य परीक्षण प्रारंभिक समय - 01.00 P.M.
राज्य की ओर से एडीपीओ श्री अभिषेक सिवाना

01. मैं मई 2022 से सितम्बर 2024 तक थाना बालोद में सउनि के पद पर पदस्थ था। पदस्थापना के दौरान दिनांक 22.05.2022 को हमराह आरक्षक क्रं० 36, 441 के साथ जुर्म जरायम पतासाजी पर टाउन देहात रवाना हआ था। दौरान पेट्रोलिंग के जरिये मुखबीर से सूचना मिला कि एक व्यक्ति अधिक मात्रा में शराब बिक्री हेतु मोटरसायकल में रखकर जुर्रीपारा बालोद के आईटीआई की तरफ आ रहा है कि सूचना पर मौके पर गवाह मनीष कुमार एवं जमीर खान को मुखबीर सुचना से अवगत कराकर कार्यवाही मे सहयोग देने हेतु नोटिस देकर सहमति लिया था।

02. मुखबीर सूचना पंचनामा **प्र०पी०-03,** धारा 160 द.प्र.सं. का नोटिस **प्र०पी०-02,** जिसके स से स भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं। गवाहों एवं हमराह स्टाफ के साथ रेड कार्यवाही कर जुर्रपारा बालोद आईटीआई के सामने संदेही व्यक्ति को पकडकर नाम, पता पूछने पर उसने अपना नाम हेमंत कुमार, निवासी घुमका का होना बताया। आरोपी को आरोपी को मुखबिर सूचना से अवगत कराकर उसकी तलाशी लिये जाने की सहमति लिये जाने के संबंध में सहमति पंचनामा तैयार किया, जो **प्र०पी०-14** है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे एवं ब से ब भाग पर आरोपी का हस्ताक्षर हैं। आरोपी हेमंत कुमार को पुलिस पार्टी एवं गवाहों की तलाशी देकर तलाशी पंचनामा पुलिस पार्टी व गवाह का तैयार किया जो **प्र०पी०-04** है, जिसके स से स भाग पर मेरे एवं द से द भाग पर

आरोपी का हस्ताक्षर हैं।

03. गवाहों के समक्ष संदेही आरोपी की तलाशी लेकर उसके कब्जे में रखा एक पिट्ठू बैग में रखा 35 पौवा देशी प्लेन शराब कुल 6.300 बल्क लीटर किमती 2800 रु एवं एच.एफ डिलक्स मोटरसायकल क्रं CG04-JE-2962 को बरामद कर पहचान कार्यवाही किया, तलाशी पंचनामा आरोपी **प्रपी.05**, बरामदगी पंचनामा **प्र०पी०06** एवं समान पहचान पंचनामा **प्र०पी०08** है, जिसके क्रमशः स से स भाग पर मेरे एवं द से द भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर हैं।

04. आरोपी को बरामदशुदा शराब रखने एवं बिक्री करने के संबंध में वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु धारा 91 का नोटिस दिया था जिसके जवाब में आरोपी के द्वारा मेरे पास शराब रखने एवं बिक्री करने के संबंध में कोई वैध कागजात नहीं है का लिखित कथन किया गया था। धारा 91 का नोटिस **प्र०पी०-15** है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे एवं ब से ब भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर हैं। आरोपी से बरामदशुदा संपत्ति को गवाहो के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक तैयार किया, जप्ती पत्रक **प्र०पी०-07** है, जिसके स से स भाग पर मेरे एवं द से द भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर एवं य से य भाग पर नमूनाशील अंकित हैं। जप्तशुदा संपत्ति को सीलबंद कर सीलबंद पंचनामा तैयार किया जो **प्र०पी०-09** है, जिसके स से स भाग पर मेरे एवं द से द भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर एवं य से य भाग पर नमूनाशील अंकित हैं।

05. आरोपी को गवाहों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया जो **प्र०पी०-10** है, जिसके स से स भाग पर मेरे एवं द से द भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर हैं। आरोपी की गिरफतारी की सूचना उसके परिजनों को दी गयी, जो **प्रपी.17** है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे एवं ब से ब भाग पर सूचनाप्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर है। मौके पर ही गवाहों के समक्ष घटना स्थल का नजरी नक्शा तैयार किया, जो **प्र०पी०-11** है, जिसके स से स भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं। विवेचना दौरान साक्षी मनीष कुमार एवं जमीर खान का बयान उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया था। मौके पर सम्पूर्ण कार्यवाही कर अपराध क्रमांक 0/2022 धारा 34-2 आबकारी अधिनियम के तहत देहाती नालसी तैयार किया जो **प्र०पी०-18** है, जिसके क्रमश अ से अ भाग पर मेरे

हस्ताक्षर हैं। वापस थाना आकर अपराध क्रमांक 237/2022 धारा 34-2 आबकारी अधिनियम के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया जो **प्र०पी० 19** है, जिसके अ से अ एवं ब से ब भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं। आरोपी हेमंत कुमार के द्वारा थाना लाकर पेश करने पर घटना में जप्त मोटरसायकल एच.एफ डिलक्स मोटरसायकल क्रं CG04-JE-2962 का आरसी बुक, जो गोविंद निषाद के नाम पर दर्ज था, को गवाहों के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक तैयार किया, जो **प्रपी.16** है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे एवं ब से ब भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर है।

06. जप्तशुदा संपत्ति को सुरक्षार्थ मालखाना में जमा करने माल जमा पावती **प्र०पी०-20** है जिसके अ से अ भाग पर मालखाना मोहर्रिर संदीप बंजारे के हस्ताक्षर हैं। दिनांक 30.05.2022 को शराब परीक्षण हेतु मालखाना से माल निकालने के संबंध में पंचनामा तैयार किया जो **प्र०पी०-21** है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे एवं ब से ब भाग पर मालखाना मोहर्रिर संदीप बंजारे के हस्ताक्षर एवं स से स भाग पर नमूनाशील अंकित हैं। इसी दिनांक को आबकारी कार्यालय, बालोद को जप्तशुदा शराब का परीक्षण नतीजा से अवगत कराने बाबत् प्रधान आरक्षक क्रमांक 1455, संदीप बंजारे के माध्यम से तहरीर प्रेषित किया था जो **प्र०पी०-22** है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है एवं ब से ब भाग पर नमूना सील अंकित है। परीक्षण पश्चात पुनः जप्त शराब को मालखाना में सुरक्षित रखने के संबंध में पंचनामा तैयार किया जो **प्र०पी०-23** है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे एवं ब से ब भाग पर मालखाना मोहर्रिर संदीप बंजारे के हस्ताक्षर हैं।

07. दिनांक 25.05.2022 को तहसीलदार महोदय तहसीलदार बालोद को घटनास्थल का नजरीनक्श प्रदाय करने बाबत् तहरीर प्रेषित की गयी थी, तहरीर **प्रपी.24** है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। दिनांक 06.12.2022 को प्रकरण में जप्तशुदा मोटरसायकल की राजसात कार्यवाही किये जाने बाबत् पुलिस अधीक्षक महोदय बालोद को तहरीर प्रेषित की गयी थी, जो **प्रपी.25** है, जो प्रकरण में संलग्न है। प्रकरण में नकल रोजनामचा सान्हा एवं जप्ती माल रजिस्टर की सत्यप्रतिलिपि संलग्न है। सम्पूर्ण विवेचना पश्चात अभियोग पत्र तैयार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।

आपराधिक प्रकरण क्र० 2047/22

शा० वि० हेमंत कुमार

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री पुनित देशमुख अधिवक्ता वास्ते आरोपी

08. यह कहना गलत है कि गवाहों के उपस्थिति में मेरे द्वारा नजरीनक्शा नहीं बनाया गया है। यह कहना गलत है कि मेरे द्वारा गवाहों को धारा 160 द.प्र.स. की नोटिस नहीं दी गयी थी। यह कहना गलत है कि गवाहों का सहमति पंचनामा मेरे द्वारा नहीं बनाया गया था।यह कहना गलत है कि आरोपी से जप्तशुदा 35 पौवा शराब एवं मोटरसायकल जप्त कर जप्ती पत्रक तैयार नहीं किया गया हैं। यह कहना गलत है कि आरोपी को गिरफतार नहीं किया गया है। यह कहना गलत है कि मेरे द्वारा जप्तशुदा द्रव्य को आबकारी कार्यालय नहीं भेजा गया है। यह कहना गलत है कि संपूर्ण कार्यवाही थाने में बैठकर की गयी है।

09. यह कहना सही है कि प्रकरण मे मै ही प्रार्थी हू एवं सम्पूर्ण विवेचना मेरे द्वारा ही किया गया है। यह कहना गलत है कि मेरे द्वारा जप्तशुदा संपत्ति को सीलबंद कर पंचनामा तैयार नहीं किया गया था। यह कहना गलत है कि साक्षियों का कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध नहीं किया गया था। यह कहना गलत है कि प्रकरण में जप्तशुदा मोटरसायकल के राजसात कार्यवाही हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को पत्राचार किये जाने के संबंध में तहरीर प्रेषित नहीं की गयी थी । यह कहना गलत है कि मेरे द्वारा तहसीलदार महोदय को घटनास्थल का पटवारी नजरीनक्श प्रदाय किये जाने बाबत्र पत्राचार नहीं किया गया था

10. यह कहना गलत है कि मेरे द्वारा गवाहों के समक्ष घटनास्थल का नजरीनक्शा तैयार नहीं किया गया था। यह कहना गलत है कि मैं आरोपी को फंसाने की नियत से उसके विरूद्ध झूठा अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया हूं।

प्रतिपरीक्षण समाप्ति का समयः- 01.15 P.M.

HEERA SINHA

Digitally signed by HEERA SINHA

वाचित/स्वीकृत	मेरे निर्देशन पर टंकित किया
sd/-	sd/-
(श्रीमती हीरा सिन्हा)	**(श्रीमती हीरा सिन्हा)**
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	**न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी**
बालोद,जिला-बालोद (छ०ग०)	**बालोद, जिला-बालोद (छ०ग०)**

गवाह का हस्ताक्षर